

प्रेषक,

मिनिस्ती एस0,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,  
जनपद-बलिया/बलरामपुर/बाराबंकी/बदायूं/बहराइच/गोण्डा/गाजीपुर/जौनपुर/मुरादाबाद  
एवं सोनभद्र।

गृह(पुलिस)अनुभाग-15

लखनऊ:दिनांक 09 नवम्बर, 2016

विषय:-गृह विभाग एवं यूनिसेफ के संयुक्त सहयोग से जिला स्तर पर द्वितीय चरण में माडल विशेष  
किशोर पुलिस इकाई (SJPU) विकसित करने के संबंध में।

महोदय,

गृह विभाग एवं यूनिसेफ के संयुक्त सहयोग से जिला स्तर पर किशोर न्याय ( Juvenile Justice Act 2015) अधिनियम, 2015 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 ( POCSO Act 2012) के अन्तर्गत आपके जनपद में द्वितीय चरण में माडल विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके क्रियान्वयन के लिये गृह विभाग द्वारा यूनिसेफ एवं डा0राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय से सहयोग लिया जायेगा। प्रथम चरण में यह कार्य सफलतापूर्वक दस जनपदों में किया जा रहा है।

2. इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को नवम्बर, 2016 से मार्च, 2017 की अवधि में चलाये जाने का उद्देश्य है जिसमें आपके सक्षम नेतृत्व, मानीटरिंग एवं संरक्षण की अपेक्षा है। इस संदर्भ में आपके स्तर से निम्नलिखित कार्यवाही अपेक्षित है:-


1. यूनिसेफ के साथ एवं इस प्रोजेक्ट हेतु कार्यदायी सहयोगी संस्था डा0राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ के साथ आपकी अध्यक्षता में एक बैठक तत्काल आयोजित की जाये। इस बैठक में जनपद के विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) के हर अधिकारी एवं आपके जनपद के थानों में जे0जे0एक्ट, 2015 के अन्तर्गत नामित बाल संरक्षण अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।
2. आपके जिले में मौजूद जिला प्रोबेशन अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग), जिला बाल संरक्षण अधिकारी, जिला श्रम अधिकारी, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी को भी इस बैठक में अवश्य आमंत्रित किया जाय।
3. इस बैठक में यूनिसेफ के प्रतिनिधि द्वारा के माडल विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण दिया जायेगा, इसके साथ अगले 5 महीनों की अपेक्षित कार्यवाही की रूपरेखा एवं अपेक्षित सहयोग के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करेंगे एवं इसको सफल बनाने हेतु आपसे आवश्यक विचार विमर्श करेंगे।

4. मूलरूप से माडल विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) बनाने के लिये संवेदनशीलता SJPU के प्रत्येक अधिकारी में होना चाहिये, जिसके लिये यूनिसेफ एवं उनके सहयोगी संस्था प्रशिक्षण देंगे। हर थाने के बाल कल्याण अधिकारी (जो जे0जे0एक्ट, 2015 के अनुसार आप द्वारा नामित है) को भी बच्चों के काउन्सिलिंग एवं जे0जे0एक्ट, 2015 के अन्तर्गत अन्य दायित्वों के प्रति विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा।
5. इस योजना में चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण, परीक्षा एवं स्मार्ट सार्टिफिकेशन (विशेष प्रमाण पत्र) के वितरण का भी प्राविधान है।

उपरोक्त के संबंध में यूनिसेफ एवं सहयोगी संस्था के निम्नलिखित प्रतिनिधि सम्पर्क करेंगे, जिनके सम्पर्क नम्बर निम्नलिखित हैं:-

श्री आफताब मोहम्मद, यूनिसेफ।	9670860011
श्री के0ए0 पाण्डेय	9919493369
डा0राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।	
सुश्री प्रिया के0	9004711409
डा0राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।	
सुश्री स्मृति शुक्ला	9015455027
डा0राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।	

भवदीया,


  
( मिनिस्ती एस0 )  
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
2. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
4. महानिदेशक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, उ0प्र0, लखनऊ।
5. महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
6. संबंधित पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक।
7. जिलाधिकारी, जनपद-बलिया/बलरामपुर/बाराबंकी/बदायूं/बहराइच/गोण्डा/गाजीपुर/जौनपुर/मुरादाबाद एवं सोनभद्र।
8. डा0आफताब मोहम्मद, यूनिसेफ चाइल्ड विशेषज्ञ, बी-3/258, विशालखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010
9. के0ए0 पाण्डेय, डा0राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।

आज्ञा से,

  
( मिनिस्ती एस0 )  
विशेष सचिव।



प्रेषक,

मिनिस्ती एस0,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,  
जनपद-आगरा/लखनऊ/बरेली/वाराणसी/इलाहाबाद/गोरखपुर/कानपुर/गाजियाबाद  
मिर्जापुर एवं श्रावस्ती।

गृह(पुलिस)अनुभाग-15

लखनऊ:दिनांक 3/ मई, 2016

विषय:-गृह विभाग एवं यूनिसेफ के संयुक्त सहयोग से जिला स्तर पर माडल विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) विकसित करने के संबंध में।

महोदय,

गृह विभाग एवं यूनिसेफ के संयुक्त सहयोग से जिला स्तर पर किशोर न्याय ( Juvenile Justice Act 2015) अधिनियम, 2015 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 ( POCSO Act 2012) के अन्तर्गत आपके जनपद में माडल विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके क्रियान्वयन के लिये गृह विभाग द्वारा यूनिसेफ एवं डा0राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय से सहयोग लिया जायेगा।

2. इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को जून, 2016 से अक्टूबर, 2016 की अवधि में चलाये जाने का उद्देश्य है जिसमें आपके सक्षम नेतृत्व, मात्नीटरिंग एवं संरक्षण की अपेक्षा है। इस संदर्भ में आपके स्तर से निम्नलिखित कार्यवाही अपेक्षित है:-


1. यूनिसेफ के साथ एवं इस प्रोजेक्ट हेतु कार्यदायी सहयोगी संस्था डा0राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ के साथ आपकी अध्यक्षता में एक बैठक तत्काल आयोजित की जाये। इस बैठक में जनपद के विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) के हर अधिकारी एवं आपके जनपद के थानों में जे0जे0एक्ट, 2015 के अन्तर्गत नामित बाल संरक्षण अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।
2. आपके जिले में मौजूद जिला प्रोबेशन अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग), जिला बाल संरक्षण अधिकारी, जिला श्रम अधिकारी, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी को भी इस बैठक में अवश्य आमंत्रित किया जाय।
3. इस बैठक में यूनिसेफ के प्रतिनिधि द्वारा के माडल विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण दिया जायेगा, इसके साथ अगले 5 महीनों की अपेक्षित कार्यवाही की रूपरेखा एवं अपेक्षित सहयोग के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करेंगे एवं इसको सफल बनाने हेतु आपसे आवश्यक विचार विमर्श करेंगे।

4. मूलरूप से माडल विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) बनाने के लिये संवेदनशीलता SJPU के प्रत्येक अधिकारी में होना चाहिये, जिसके लिये यूनिसेफ एवं उनके सहयोगी संस्था प्रशिक्षण देंगे। हर थाने के बाल कल्याण अधिकारी (जो जे0जे0एक्ट, 2015 के अनुसार आप द्वारा नामित है) को भी बच्चों के काउन्सिलिंग एवं जे0जे0एक्ट, 2015 के अन्तर्गत अन्य दायित्वों के प्रति विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा।
5. इस योजना में चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण, परीक्षा एवं स्मार्ट सार्टिफिकेशन (विशेष प्रमाण पत्र) के वितरण का भी प्राविधान है।

उपरोक्त के संबंध में यूनिसेफ एवं सहयोगी संस्था के निम्नलिखित प्रतिनिधि सम्पर्क करेंगे, जिनके सम्पर्क नम्बर निम्नलिखित हैं:-

श्री आफताब मोहम्मद, यूनिसेफ।	9670860011
सुश्री प्रिया के0	9004711409
डा0राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।	
सुश्री स्मृति शुक्ला	9015455027
डा0राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।	

भवदीया,


  
( मिनिस्ती एस0 )  
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- ✓ 1. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
- ✓ 2. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0शासन।
- ✓ 3. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
- ✓ 4. महानिदेशक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, उ0प्र0, लखनऊ।
- ✓ 5. महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
- ✓ 6. संबंधित पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक।
- ✓ 7. जिलाधिकारी, जनपद-आगरा/लखनऊ/बरेली/वाराणसी/इलाहाबाद/गोरखपुर/कानपुर/गाजियाबाद/मिर्जापुर एवं श्रावस्ती।
- ✓ 8. डा0आफताब मोहम्मद, यूनीसेफ चाइल्ड विशेषज्ञ, बी-3/258, विशालखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010
- ✓ 9. सुश्री प्रिया के0, डा0राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- ✓ 10. सुश्री स्मृति शुक्ला, डा0राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।

आज्ञा से,

  
( मिनिस्ती एस0 ) 31/5/16  
विशेष सचिव।